इकाई 22 चुनाव प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा

22.0 उद्देश्य
22.1 प्रस्तावना
22.2 बहुमत-आधारित व्यवस्थाएँ
  22.2.1 साधारण बहुमत प्रणाली अथवा विजय स्तंभ पर पहले पहुँचने की प्रणाली
  22.2.2 द्वितीय मतदान प्रणाली
  22.2.3 अन्य प्रणालियाँ
  22.2.4 बहुमत-आधारित व्यवस्थाओं के दोष
22.3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व
  22.3.1 एकल संक्रमणीय मत पद्धति
  22.3.2 सूची प्रणाली
  22.3.3 अर्द्ध-आनुपातिक प्रणाली
  22.3.4 स्लेट प्रणाली
  22.3.5 सामूहिक मत प्रणाली
22.4 चुनावी प्रक्रिया तथा राजनीतिक दल
  22.4.1 पार्टी एकता तथा लगाव
22.5 सारांश
22.6 शब्दावली
22.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें
22.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

22.0 उद्देश्य

इस इकाई में आप चुनावी प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। साथ ही आप प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियों एवं पद्धतियों के विषय में भी पढ़ेंगे।

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्, आपः

- चुनाव प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- प्रतिनिधित्व की विभिन्न प्रणालियों का पुनः स्मरण कर सकेंगे;
- विभिन्न चुनावी प्रणालियों की तुलना कर सकेंगे;
- बहुमत-आधारित बहुलवादी व्यवस्था का वर्णन कर सकेंगे;
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियों की समीक्षा कर सकेंगे; तथा
- राजनीतिक दलों और निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बन्धों की व्याख्या कर सकेंगे।

22.1 प्रस्तावना

निर्वाचन (चुनाव) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने मतों का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। यह चुने हुए व्यक्ति विधायिकाओं में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विद्यायिका, संसद भी हो सकती है और स्थानीय निकाय भी। अब निर्वाचन के द्वारा चयन की यह प्रक्रिया, प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष) लोकतन्त्र का अभिन्न अंग बन गई है। बीसवीं शताब्दी में अधिकांश, या लगभग सभी, देशों ने अपने समस्त वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया। शुरू में केवल सम्पत्ति के स्वामियों को ही मत देने का अधिकार हुआ करता था। किन्तु बीसवीं शताब्दी में सभी वयस्कों को धर्म या जाति या लिंग के किसी भेदभाव के बिना मताधिकार प्राप्त है। आज

सम्पत्ति के आधार पर भी किसी को मताधिकार से वंचित नहीं रखा जाता। आज मतदान का आधार "एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य" हो गया है। इस प्रकार राजनीतिक समानता स्वीकार कर ली गई है। बिना किसी भेदभाव के सभी नर-नारी मतदान कर सकते हैं।

निर्वाचन के कई कार्य होते हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य (और कार्य) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार की स्थापना करना होता है। वे सरकार और जनता के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। वे उनके मध्य संचार माध्यम होते हैं। किसी शासन के पक्ष या विपक्ष में वे जन-समर्थन जुटा कर उसका प्रदर्शन करते हैं। निर्वाचन एक ऐसा माध्यम है जो राजनीतिक नेताओं की तलाश करता है, या उनको राजनीति में भागीदार बनाता है। चुनावों के द्वारा ही मतदाताओं के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। हाँ, जिन देशों में एक-दलीय व्यवस्था है या जहाँ मतदाताओं के समक्ष कोई विकल्प नहीं होता और सत्तारूढ़ दल की प्रभुत्ता होती है, वहाँ चुनाव दिखावा-मात्र होता है। इन देशों में चुनाव का कार्य मात्र औपचारिकता होती है।

बेल्जियम, इटली, डेनमार्क, नीदरलैण्डस (हालैण्ड) जैसे देशों में चुनावों के परिणामों से सरकार का गठन न होकर, राजनीतिक दलों की सौदेबाजी से निश्चय किया जाता है कि सरकार का गठन कौन करेगा, और उसका रूप क्या होगा। परन्तु, जिन देशों में दलीय व्यवस्था ऐसी है कि मतदाताओं के पास विकल्प होते हैं, और वे स्वेच्छा से मतदान करते हैं, वहाँ वे यह तय करते हैं कि बहुमत किसे मिले और सरकार किसकी बने।

प्रत्येक देश में निर्वाचन में चयन प्रक्रिया की प्रकृति तीन तत्वों के आधार पर निश्चित की जाती है। प्रथम, चुनाव का उद्देश्य क्या है — निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है, अथवा दलों की सूचियों में से किसी एक के पक्ष में मतदान होना है, अथवा राष्ट्रपति का चुनाव होना है। द्वितीय दलीय प्रणाली अथवा मतदान की प्रवृत्ति क्या है। इसका निर्णय समाज की वर्ग व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली तथा अभिजात्य अथवा कुलीन वर्ग की जोड़-तोड़ के आधार पर होता है। तृतीय, चुनाव प्रक्रिया विशेष रूप से वे प्रावधान जिसके अनुसार मतों को सीटों में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात् मतों की गिनती करके और उनके मूल्यों का निर्धारण करने की क्या व्यवस्था है।

22.2 बहुमत-आधारित व्यवस्थाएँ

हमें तीन अलग व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर समझना होगा। वे हैं: पहली फ्रांस की व्यवस्था जैसी, जिसमें विजयी प्रत्याशी के लिए आवश्यक है कि उसे कुल डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो; दूसरी बहुलवादी, अर्थात् साधारण बहुमत प्रणाली या विजय स्तम्भ पर पहले पहुँचने की प्रणाली (जो कि भारत, इंगलैण्ड तथा अन्य अंग्रेज़ी-भाषी देशों में प्रचलित है); तथा तीसरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अनेक पद्धतियाँ (जैसे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति इत्यादि)।

22.2.1 साधारण बहुमत प्रणाली अथवा विजय स्तम्भ पर पहले पहुँचने की प्रणाली

बहुलवादी प्रणाली, प्रतिनिधित्व की सबसे अधिक प्रचलित निर्वाचन प्रणाली है। इसे विजय स्तम्भ पर पहले पहुँचने (First-past-the-post) की प्रणाली, अथवा सामान्य बोलचाल की भाषा में साधारण बहुमत प्रणाली कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हों वही विजयी घोषित किया जाता है। भारत में लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य इसी पद्धति से चुने जाते हैं। इसी पद्धति से इंगलैण्ड के कॉमन सदन, अमेरिका के प्रतिनिधि सदन तथा कनाडा, फिलीपीन्स एवं वेनेज़ुएला के निचले सदनों के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इस साधारण बहुमत प्रणाली में यह सम्भव है कि कोई उम्मीदवार आधे मतों से अधिक (स्पष्ट बहुमत) प्राप्त किए बिना ही जीत जाए क्योंकि इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजयी घोषित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में तीन उम्मीदवारों को क्रमशः 40, 35 एवं 25 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों तो सर्वाधिक मत अर्थात् 40 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होगा। तीन प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की स्थिति में यदि दो को एक-तिहाई से कुछ कम मत प्राप्त होते हैं तो तीसरे प्रत्याशी को एक-तिहाई से थोड़े

अधिक प्राप्त होने पर भी वह जीत सकता है। जहाँ और भी अधिक (चार, पाँच, छह, इत्यादि) उम्मीदवार होंगे, वहाँ विजयी उम्मीदवार और भी कम मतों के आधार पर चुनाव जीत सकता है। चुनाव की इस पद्धति को "विजय स्तम्भ पर पहुँचने वाली पद्धति" (First Past the Post system) है उसे ही प्रथम स्थान मिलता है, चाहे उसने कितना ही समय क्यों न लिया हो। चुनाव के संदर्भ में इसका यह अर्थ है कि प्रत्याशी का सर्वाधिक मत प्राप्त करके जीतना, भले ही उसे कुल डाले गए मतों में से आधे से भी कम मत प्राप्त हुए हों।

अनेक लोकतान्त्रिक देशों में बिना स्पष्ट बहुमत के विजय प्राप्त करने की इस प्रणाली को अवांछनीय माना जाता है। यह आपत्ति की जाती है कि इस पद्धति में बहुमत के लोकतान्त्रिक सिद्धान्त का उल्लंघन होता है। यह भी कहा जाता है कि स्पष्ट बहुमत के अभाव में विजयी उम्मीदवार को प्रभावी वैधता प्राप्त ही नहीं होती, फिर भी वह सांसद या विधायक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्रों का एकमात्र प्रतिनिधि होता है।

22.2.2 द्वितीय मतदान प्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी उम्मीदवार जीतता है उसे कम से कम आधे मतों से अधिक अवश्य मत प्राप्त हुए हों, कुछ और प्रणालियों का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें से एक पद्धति यह है कि तब तक बार-बार मतदान करवाया जाए जब तक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो जाए। फ्रांस में, तीसरे और चौथे गणतन्त्र के संविधानों के अनुसार, राष्ट्रपति पद के लिए, देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में तब तक बार-बार मतदान करवाया जाता था जब तक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल जाता था लेकिन इस पद्धति का प्रमुख दोष यह था कि एक ही व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए बार-बार के मतदान में समय और धन का अपव्यय होता था। कुछ इसी प्रकार की मिलती-जुलती पद्धति का प्रयोग प्रति चार वर्ष बाद दोनों प्रमुख अमरीकी राजनीतिक दल अपने राष्ट्रीय सम्मेलनों में करते हैं। ऐसा पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिया किया जाता है। बार-बार तब तक मतदान करवाया जाता है। जब तक कि किसी एक को स्पष्ट बहुमत न मिल जाए। स्पष्ट बहुमत प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद के लिए उस दल का उम्मीदवार चुना जाता है। इसको मिली-जुली बहुमत-बहुल प्रणाली भी कहते हैं।

इस प्रणाली की दूसरी अधिक लोकप्रिय पद्धति फ्रांस के राष्ट्रपति तथा संसद के चुनाव के लिए अब प्रयोग में लाई जाती है। इस द्वितीय मतदान पद्धति (Second ballot system) में बार-बार मतदान नहीं होता। यदि आवश्यक हो तो केवल दूसरी बार मतदान करवाकर चुनाव का निर्णय कर लिया जाता है। यदि प्रथम मतदान में कोई उम्मीदवार 50 प्रतिशत से एक मत अधिक (स्पष्ट बहुमत) प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है, और द्वितीय मतदान नहीं होता। परन्तु यदि तीन या अधिक उम्मीदवारों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो किसी अन्य दिन (प्रायः एक सप्ताह बाद) दोबारा मतदान करवाया जाता है। परन्तु, इस बार केवल उन दो उम्मीदवारों के नाम ही मतपत्र पर होते हैं जिन्हें सबसे अधिक मत मिले हों, अर्थात् जो प्रथम दो स्थानों पर रहे हों। द्वितीय मतदान में बचे दो उम्मीदवारों में से जिस को भी बहुमत मिलता है वहीं विजयी घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस के वर्तमान पाँचवें गणतन्त्र में राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव इसी द्वितीय मतदान प्रणाली से होता है।

22.2.3 अन्य प्रणालियाँ

बहुमत पर आधारित दो अन्य प्रणालियाँ भी हैं, जो अधिक प्रचलित तो नहीं हैं, परन्तु उनकी उपयोगिता की विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसा की जाती है।

1) **सीमित मत पद्धति** : इस पद्धति की खोज राजनीति-शास्त्री स्टीवेन जे. ब्रैम्स ने की थी। यह पद्धति बहुलवादी नियम का ही संशोधित रूप है। इस प्रणाली के अनुसार मतदाता किसी एक उम्मीदवार के स्थान पर अपनी पसंद के एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दे सकता है। उदाहरण

के लिए यदि कोई पाँच-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हो तो मतदाता एक से लेकर चार तक (जितने चाहे) मत दे सकता है। परन्तु पाँच मत देने से वे सभी अवैध हो जायंगे। यदि कई मतदाता दो या दो से अधिक मतों की सुविधा का प्रयोग करके किसी एक उम्मीदवार को विजयी बनवाना चाहें तो वह, अनेक उम्मीदवारों के होते हुए भी, उसे विजयी बना सकते हैं।

सीमित मत पद्धति, इस पद्धति को स्वीकृति पद्धति या मतदान (approval voting) भी कहा जाता है। इस का प्रयोग अनेक निजी संस्थानों में किया जाता है, परन्तु अभी तक विधान मंडलों में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है सन् 1990 के रूस, बेलारुस तथा यूक्रेन के संसदीय चुनावों में बहु-उम्मीदवारों की अनुमति दी गई थी। लेकिन मतदान का फार्मूला भिन्न था। इसमें मतदाताओं को कहा गया था कि वे जिन उम्मीदवारों को मत नहीं देना चाहते उनके नाम काट दें। इस प्रकार, अस्वीकृति पद्धति अपनाई गई, जिसे स्वीकृति पद्धति का पर्याय भी कहा जा सकता है। इन चुनावों में, सीमित मत पद्धति से हटकर कुछ नियम बनाए गए थे। अर्थात् यह आवश्यक था कि प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम पचास प्रतिशत मतदाता मतदान अवश्य करें। साथ ही विजयी होने के लिए यह भी आवश्यक था कि कम से कम आधे से अधिक मत प्राप्त हों। यदि इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी न हुई हो, तो पुनः मतदान करवाया जाना था।

2) **कौन्डोर्सेट पद्धति** (Condorset Method): इस पद्धति के जनक एक फ्रांसीसी गणितशास्त्री मार्किस डिकौन्डोर्सेट थे। उन्होंने अठारहवीं शताब्दी के बहुउम्मीदवारी संघर्ष को अनेक दो-उम्मीदवार संघर्षों में विभाजित करने की योजना बनाई थी। इस पद्धति के अंतर्गत मतदाताओं से कहा जाता है कि वे दो-दो उम्मीदवारों की जोड़ियों में से एक-एक के पक्ष में मतदान करें। उदाहरण के लिए यदि तीन उम्मीदवार हैं: क, ख और ग, तो मतदाताओं से अपेक्षा होगी कि वे **क** और **ख; क** और **ग**; तथा **ख** और **ग** में से एक-एक को चुनें। उस उम्मीदवार को विजय मिलेगी जो इन जोड़ियों में अन्य सबको पराजित कर दे। उदाहरण के लिए, यदि मतदाताओं का **क** को **ख** की अपेक्षा, तथा **क** को ही **ग** की अपेक्षा अधिक मत मिलें तो **क** ही विजयी होगा।

कुछ लोग इस प्रणाली की बहुत प्रशंसा करते हैं, जबकि अन्य अनेक इसमें दोष पाते हैं। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हो सकता है कि विभिन्न जोड़ियों में से कोई भी एक ऐसा न हो जो अन्य सभी को पराजित कर सका हो। इस उदाहरण के लिए हम तीन प्रत्याशी और तीन मतदाताओं की संख्या को लेकर चलते हैं। पहले मतदाता का प्राथमिकता क्रम क, ख, ग (अर्थात् पहला मतदाता क और ख, ख और ग, ग और क को प्राथमिकता देता है) दूसरे मतदाता का प्राथमिकता क्रम ख, ग, क है तथा तीसरे मतदाता का ग, क, ख (कुल मिलाकर तीन मतदाताओं ने क और ख, ख और ग तथा ग और क) (प्रत्येक मामले में 2-1 बहुमत) प्राथमिकता दी है। इस प्रकार के उदाहरण अक्सर नहीं होते लेकिन यदि कहीं ऐसा हो जाए तो इसका समाधान वैकल्पिक मत जैसे अन्य अतिरिक्त नियम द्वारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कौन्डर्सेट पद्धति मतदाताओं और गणकों दोनों के लिए ही उलझी हुई है। जब केवल तीन ही उम्मीदवार हों, और तीन ही जोड़ियाँ बनें तब तो निर्णय पर पहुँचना सरल है। परन्तु उदाहरण के लिए यदि चुनावी मैदान में आठ उम्मीदवार हों और उनकी 28 जोड़ियाँ बनें तो उनमें से किसी एक का चयन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य होगा। तब प्रत्येक जोड़ी का तर्कसंगत आधार प्राथमिकताएँ निकालनी पड़ेंगी। कंप्यूटर के द्वारा आसानी से गणना कार्य किया जा सकता है।

22.2.4 बहुमत-आधारित व्यवस्थाओं के दोष

बहुमत-आधारित निर्वाचन प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह है कि बड़े दलों के प्रति पक्षपात होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता छोटे दलों के प्रति उदासीन रहते हैं। परिणाम यह होता है कि चुनाव परिणामों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न दलों द्वारा देश-भर में प्राप्त मतों और संसद में प्राप्त सीटों के अनुपात में भारी अंतर होता है। बड़े दलों को अनुपात से अधिक तथा छोटे दलों को प्राप्त मतों से कम स्थान प्राप्त होते हैं।

इंगलैण्ड में साधारण बहुमत प्रणाली के अनुसार संसदीय चुनाव इसका एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। इंगलैण्ड में 1979 और 1992 के मध्य हुए चार आम चुनावों में कंजर्वेटिव पार्टी (अनुदार दल) को देश-व्यापी मतों के औसतन 42.6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, परन्तु उसी दल (Conservative Party) को कॉमन सदन में लगभग 56 प्रतिशत स्थान प्राप्त हो गए। अर्थात् सदन में जिस दल को ज्यादा सीटें मिलीं उसे कुल 42.6 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए थे। जबकि इन्हीं चुनावों में लेबर पार्टी को औसतन 32.4 प्रतिशत मत मिले और उनको 37.8 प्रतिशत सीटों पर विजय प्राप्त हुई। तीसरे दल (लिबरल डेमोक्रेट इत्यादि) को 19.9 प्रतिशत मत मिलने के बावजूद केवल 2.9 प्रतिशत स्थान ही प्राप्त हो सके। क्षेत्रीय दलों (स्कॉटिश नेशनल पार्टी, वेल्श नेशनल पार्टी तथा उत्तरी आयरलैण्ड के क्षेत्रीय दल) को कुल मिलाकर 4.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, परन्तु उन्हें केवल 3.2 प्रतिशत सीटें ही मिली थी। इस प्रकार, सबसे बड़ी पार्टी (कंज़र्वेटिव) को अपने मतों के अनुपात से कहीं अधिक और तीसरे दल को मतों से कहीं कम स्थान प्राप्त हुए।

फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के लिए 1993 के चुनाव में दो बड़े कज़र्वेटिव पार्टियों (अनुदार दलों) के गठबंधन को 79.7 प्रतिशत सीटें मिली, जबकि उन्हें प्रथम मतदान में केवल 39.5 प्रतिशत मत ही मिले थे। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी बड़ी पार्टी की दृष्टि से अधिक क्षेत्रों में थोड़े से अंतर से अधिक स्थान प्राप्त हो जाएँ, और इस प्रकार उन्हें मत-अनुपात से कहीं अधिक सीटें प्राप्त हों और चुनाव जीत जाएँ। इंगलैण्ड में 1951 में और न्यूज़ीलैण्ड में 1978 और 1981 में ऐसा ही हुआ।

भारत में लोक सभा चुनाव में किसी भी दल ने किसी भी चुनाव में पचास प्रतिशत या उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किए, चाहें अनेक बार कॉंग्रेस जैसे बड़े दल को मतों के अनुपात से कहीं अधिक सीटें मिली जैसे कि 1984 में (अधिकतम) 49 प्रतिशत मत लेकर उसे 543 में से 402 सीटें प्राप्त हो गई थीं। ऐसा चुनावी मैदान में अनेक दलों और उम्मीदवारों के कारण होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्रायः हारने वाले सभी उम्मीदवारों को कुल प्राप्त मतों से कम मत प्राप्त होते हैं, परन्तु अनेक उम्मीदवारों में मत बँट जाने के कारण अल्पसंख्यक मतों के आधार पर अनेक उम्मीदवार जीत जाते हैं।

बोध प्रश्न 1

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) साधारण बहुमत प्रणाली (विजय स्तम्भ पर पहले पहुँचने वाली प्रणाली) के दोष क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) किन दो देशों में मिली-जुली बहुमत-बहुल प्रणाली पाई जाती है?

.....

.....

.....

3) द्वितीय मतदान प्रणाली क्या होती है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

22.3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व

आनुपातिक प्रतिनिधित्व का आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में इंगलैण्ड और फ्रांस को छोड़कर अनेक यूरोपीय देशों ने इस प्रणाली को अपनाया। अनेक देशों के संसदीय चुनावों में आज भी इसका प्रचलन है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् 23 दीर्घ-कालीन लोकतन्त्रों में कभी लोकतन्त्र को धक्का नहीं लगा (जिनमें 15 पुराने पश्चिमी यूरोपीय लोकतन्त्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, इज़राइल तथा कोस्टा रीका शामिल हैं)। 23 में से 15 ने मुख्य रूप से इस अवधि में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया, एक (जापान) ने अर्द्ध-आनुपातिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव करवाए तथा शेष सात देशों में ही साधारण बहुमत पद्धति जारी रही।

जैसा कि इस प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य साधारण बहुमत प्रणाली के उस दोष को दूर करना है जिसके कारण मतों की संख्या एवं सीटों की संख्या में तालमेल या अनुपात नहीं होता। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मतों की संख्या और प्राप्त सीटों की संख्या में अधिक वास्तविक अनुपात हो सकता है। परन्तु, व्यवहार में इस प्रणाली से भी पूरी तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं हो पाता। साधारण बहुमत प्रणाली के विपरीत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वहीं लागू किया जा सकता है जहाँ निर्वाचन क्षेत्र बहु-सदस्यीय हों। अन्य शब्दों में, इस व्यवस्था का आधार यह है कि जहाँ तक सम्भव हो विधायिका में विभिन्न दल लगभग उस अनुपात में स्थान प्राप्त कर सकें जिस अनुपात में उन्हें मत प्राप्त हुए हों।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं:(1) एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तथा (2) सूची प्रणाली।

22.3.1 एकल संक्रमणीय मत पद्धति

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की इस पद्धति को (1) हेयर प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि इसका सुझाव टॉमस हेयर ने दिया था; तथा (2) पसंद या रुचि के अनुसार मतदान की प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति में मतपत्र (Ballot paper) पर प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों के नामों के सामने 1, 2, 3 इत्यादि लिखकर अपनी रुचि अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे प्रत्येक मतदाता का एक ही मत होता है। यह पद्धति केवल अनेक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में ही लागू की जाती है। इसका अर्थ हुआ कि एक निर्वाचन क्षेत्र से दो या अधिक सदस्य चुने जाने होते हैं। परन्तु प्रत्येक मतदाता का एक ही मत (वोट) होता है, जिसे सम्बद्ध मतदाता की पसंद के उम्मीदवारों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसीलिए इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। मतदान के पश्चात्, कुल डाले गए मतों को, स्थानों (सीटों) की कुल संख्या +1 से विभाजित करके भजनफल में 1 जोड़ा जाता है। यह जो संख्या प्राप्त होती है वह ही नियतांश (Quota) कहलाता है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए इस कोटे के बराबर मत प्राप्त करने होते हैं। जो मत इस कोटे से अधिक (surplus) होते हैं उन्हें मतदाताओं की पसंद के अनुसार हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार, जिन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों उनको एक-एक करके नीचे (कम मतों) से ऊपर के क्रम से हटा दिया (eliminate) जाता है, तथा उनके द्वारा प्राप्त सभी मतों को मतदाताओं की पसंद के दूसरे/तीसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार जहाँ तक सम्भव हो मतदाताओं की पसंद के अनुपात में उम्मीदवार विजयी होते हैं। अतः कोई भी

मत बेकार नहीं जाता। इस पद्धति को भारत की राज्य सभा के चुनाव में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की विधान सभा एक बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होती है और इस पद्धति से राज्य सभा के सदस्यों को चुना जाता है। इसी पद्धति से भारत में राज्यों की विधान परिषदों, ऑस्ट्रेलिया की सीनेट तथा माल्टा और आयरलैण्ड के संसदीय चुनाव होते हैं।

22.3.2 सूची प्रणाली

सूची प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक अन्य प्रमुख पद्धति है। इसका उपयोग भी बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता है। जितने सदस्य चुने जाने होते हैं, प्रत्येक पार्टी उतने-उतने उम्मीदवारों की सूचियाँ मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। अतः, यदि किसी क्षेत्र से सात सदस्यों का निर्वाचन होना है तो प्रत्येक दल अपने सात उम्मीदवारों की सूची वरीयता के आधार पर तैयार करता है। अर्थात् पार्टी अपनी सूची में उसका नाम सबसे ऊपर रखती है जिसको वह प्रथम स्थान पर चुनवाना चाहती है। मतदाता किसी न किसी सूची के पक्ष में मतदान करते हैं, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति की भान्ति सूची प्रणाली में भी प्रत्येक क्षेत्र में मतों का एक कोटा निर्धारित किया जाता है। किसी पार्टी की सूची के पक्ष में यदि प्राप्त मतों की संख्या उदाहरण के लिए कोटे के तीन गुणा के बराबर है तो उस सूची के ऊपर के तीन उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए जायंगे। कोटे के आधे से अधिक मतों को एक कोटा गिना जाता है तथा आधे से कम को छोड़ दिया जाता है।

स्विट्ज़रलैण्ड में संसदीय चुनावों के लिए इस पद्धति का किंचित परिवर्तित रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वहाँ प्रत्येक मतदाता को सूचियों के अतिरिक्त एक ख़ाली मतपत्र भी दिया जाता है। कोई मतदाता या तो किसी एक सूची के पक्ष में मतदान कर सकता है, या फिर विभिन्न सूचियों में से नाम लेकर अपनी एक सूची बना सकता है।

22.3.3 अर्द्ध-आनुपातिक प्रणाली

कुछ देशों ने आंशिक (या अर्द्ध) आनुपातिक प्रणाली अपनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर, जापान ने प्रतिनिधि सदन के चुनाव में 1947 से 1993 तक एकल-ग़ैर हस्तांतरणीय पद्धति अपनाई गई। इस पद्धति में बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों (जापान में प्रायः 3, 4 या 5 सदस्यीय) में प्रत्येक मतदाता को एक मत देने का अधिकार था। वे उम्मीदवार जिन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हों निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। इस पद्धति में (जिसे सीमित मत पद्धति भी कह सकते हैं) छोटे राजनीतिक दलों को भी कुछ न कुछ स्थान प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी चार-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में यदि कोई पार्टी केवल एक उम्मीदवार खड़ा करती है, और उसे 20 प्रतिशत से अधिक मत मिल जाएँ तो वह अवश्य निर्वाचित हो सकता है। ऐसा, बिना औपचारिक आनुपातिक पद्धति के प्रयोग किए सम्भव हो सकता है।

एक अन्य प्रथा का प्रयोग जातीय अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जा सकता है। यह न तो साधारण बहुमत प्रणाली है, और न आनुपातिक न्यूज़ीलैण्ड में कुछ माओरी (Maori) क्षेत्र हैं जिनमें केवल माओरी मतदाता ही मतदान कर सकते हैं। भारत के संविधान में प्रावधान है कि कुछ विशेष वर्गों (अनुसूचित जातियों और जनजातियों) को संसद और विधान सभाओं में आरक्षण प्राप्त होगा। भारत की व्यवस्था के अनुसार, कुछ क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है जहाँ से केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार ही चुने जा सकते हैं, चाहे मतदान का अधिकार क्षेत्र के सभी मतदाताओं को होता है। यह मात्र आरक्षण है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं।

22.3.4 स्लेट प्रणाली

यह एक अनोखी व्यवस्था है। इस पद्धति के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित किए जाने वाले निर्वाचक मंडल (Electoral College) के सदस्यों के चुनाव के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य में (चुने जाने वाले निर्वाचकों की संख्या के बराबर) विभिन्न दल अपनी-अपनी सूची तैयार करते हैं। इस सूची को स्लेट कहा जाता है। मतदाता किसी एक

उम्मीदवार को अपना मत न देकर, किसी एक सूची (स्लेट) के पक्ष में मतदान करते हैं। जिस स्लेट को बहुसंख्यक मत प्राप्त होते हैं वह पूरी की पूरी स्लेट (सूची) चुन ली जाती है। दूसरी सूची में से कोई भी निर्वाचित नहीं होता। अतः, यदि किसी सूची के पक्ष में 51 प्रतिशत मत पड़ें तो वह पूरी चुन ली जायगी। इस प्रकार उदाहरण के लिए कैलीफ़ोर्निया (California) राज्य में 51 प्रतिशत मत डैमोक्रेट्स की सूची को मिलते हैं तो उसके सभी 54 डैमोक्रेट्स चुन लिए जायंगे, तथा रिपब्लिकन पार्टी का एक भी डैमोक्रेट्स नहीं होगा। इसे हम साधारण बहुमत प्रणाली का एक रूप कह सकते हैं।

22.3.5 सामूहिक मत प्रणाली

इस प्रणाली को भी आंशिक आनुपातिक पद्धति की श्रेणी में रख सकते हैं। इसमें यदि कोई धार्मिक, जातीय या भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अपने सभी मत एक उम्मीदवार के पक्ष में डालकर उसकी विजय सुनिश्चित कर सकते हैं। यह प्रणाली भी बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही लागू होती है। अतः, यदि किसी क्षेत्र से दस सदस्य चुने जाने हैं तो प्रत्येक मतदाता को दस मत देने का अधिकार होगा। वह जिस प्रकार चाहे उन दस मतों का प्रयोग करे। चाहे तो वह दस अलग-अलग उम्मीदवारों को एक-एक मत दे, या उन्हें दो या तीन उम्मीदवारों में विभाजित कर दे, या फिर सभी दस मत एक ही उम्मीदवार के पक्ष में दे दे। मतपत्र पर किस को कितने मत दिए उसकी संख्या लिखनी होती है। मतदाता स्वेच्छा से 1, 2, 5 या फिर 10 जितने मत किसी को भी देना चाहे लिख देगा, परन्तु मतों का योग दस से अधिक नहीं होना चाहिए। मतगणना के पश्चात् वे दस उम्मीदवार चुने जायंगे जिन्हें सबसे अधिक मत मिलें होंगे।

बोध प्रश्न 2

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) कुछ देशों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्यों अपनाया है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) सूची प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या अंतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) एकल संक्रमणीय मत पद्धति का वर्णन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) सामूहिक मत प्रणाली क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

22.4 चुनावी प्रक्रिया तथा राजनीतिक दल

चुनावी प्रक्रिया सम्बन्धी चर्चा में दो प्रमुख प्रकरण सामने आते हैं। प्रथम का सम्बन्ध चुनावी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व की आनुपातिकता, और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की सम्भावना के साथ है। दूसरे का सम्बन्ध दलों पर चुनावी प्रक्रिया के प्रभाव से है। जिसके परिणामस्वरूप फलस्वरूप लोकतान्त्रिक सरकार के प्रभावी होने को सुनिश्चित किया जा सकता है।

किसी एक ही पद के लिए होने वाले चुनाव स्वभावतः साधारण बहुमत पर आधारित तथा ग़ैर-आनुपातिक होते हैं। परन्तु, द्वितीय मतदान प्रणाली उन दलों को विजय के अवसर प्रदान करती है जिनका प्रदर्शन मतदान के प्रथम दौर में अच्छा रहा हो। मतदान के दो दौरों के बीच सौदेबाज़ी हो सकती है, तथा उन्हें उन चुनावों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुलवादी व्यवस्था में बड़े दलों को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी व्यवस्था में दो दलीय प्रणाली के विकास में सहायता मिलती है। दो-दलीय व्यवस्था में भी विधायिका में छोटे दलों को कुछ स्थान प्राप्त करने की सम्भावना अवश्य रहती है। उदाहरण के लिए इंगलैण्ड के कॉमन सदन में सामान्यतः बड़े-छोटे दस दल तो होते हैं किन्तु प्रभुत्व केवल दो ही दलों का रहता है जिनमें से एक सत्तारूढ़ होता है तथा दूसरा मुख्य विपक्षी दल होता है।

बहुलवादी (बहुमत आधारित) साधारण बहुमत प्रणाली में जिस एक दल को संसद में आधी सीटें मिलती हैं, हो सकता है उसे प्राप्त राष्ट्रव्यापी मतों का योग आधे से कहीं कम हो। भारत, इंगलैण्ड, न्यूज़ीलैण्ड इत्यादि देशों में अनेक बार ऐसा हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाले देशों में प्रायः बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, परन्तु उनमें किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत कभी नहीं मिलता। इसी कारण संसदीय प्रणाली वाली सरकारें या तो अल्प-मतों के आधार पर चुनी हुई सरकारें होती हैं जिन्हें ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, या फिर वे मिली-जुली (coalition) सरकारें होती हैं। सामान्य तर्क यह है कि दो दलीय व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें किसी एक दल को निश्चित रूप से बहुमत मिलता है, और सरकारों को स्थायित्व प्राप्त होता है। इसके विपरीत साझी (मिली-जुली) सरकारें अस्थिर होती हैं, उन्हें बार-बार दलीय सिद्धान्तों से समझौते करने पड़ते हैं, तथा निर्णय करना प्रायः कठिन हो जाता है।

जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् के पश्चिम के विभिन्न संसदीय लोकतन्त्रों की पारस्परिक तुलना करते हैं तब पाते हैं कि दो-दलीय प्रणालियाँ, किसी भी प्रकार से, बहुदलीय प्रणालियों से श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हुईं। यह बात अर्थव्यवस्था के प्रबंध (आर्थिक विकास करने, मुद्राव स्फीति और बेरोज़गारी पर नियंत्रण) और क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने, दोनों के संदर्भ में सही है। दो दलीय प्रणाली के आलोचकों का तर्क हैं कि जर्मनी जैसे बहुदलीय लोकतन्त्र निरंतरता, मज़बूती और कार्यकुशलता में इंगलैण्ड की दो-दलीय प्रणाली की तुलना में अधिक सक्षम रहे हैं। उनका मत है कि एक शक्तिशाली (strong) हाथ की अपेक्षा एक परिश्रमी/संतुलित/गंभीर/एकसमान अथवा मज़बूत (steady) हाथ कहीं बेहतर है और मध्यमार्गी मिली-जुली सरकारें, सार्वजनिक नीति को दो दलीय वैकल्पिक सरकारों की अपेक्षा अधिक निरंतरता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार, धार्मिक और भाषायी विविधता वाले समाजों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिली-जुली सरकारें, संकीर्ण एक दल की (दो दलीय में) सरकारों की अपेक्षा ऐसी नीतियाँ अपनाने में अधिक सफल होती हैं जो सामान्य रूप से अधिक मान्य होती हैं।

दो दलीय सरकारों का महत्वपूर्ण गुण है कि उनमें उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।

मतदाता जानते हैं कि पिछली नीतियों के लिए कौन-सी पार्टी उत्तरदायी थी। जब वे नीतियाँ सफल पाई जाती हैं तो मतदाता उसी पार्टी को पुनः सत्तारूढ़ कर देते हैं। परन्तु यदि ये नीतियाँ उन्हें स्वीकार्य नहीं होतीं, तो मतदाता दूसरे दल को जनादेश देकर सत्तारूढ़ कर देते हैं। परन्तु, उत्तरदायित्व का यह अर्थ नहीं है कि यह सरकार जन-हित के प्रति अधिक जागरूक होती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एक दल की सरकारों की अपेक्षा अनेक दलों की मिली जुली सरकारें जनहित के प्रति कम सजग तथा उत्तरदायी होती हैं। दूसरी ओर, मिली-जुली सरकारें प्रायः राजनीतिक परिवेश के केन्द्र में पाई जाती हैं। इस प्रकार उनकी वैचारिक स्थिति वामपंथी या फिर दक्षिणपंथी विचारधारा के शिकंजे में जकड़ी एक दल की सरकार की वैचारिक स्थिति के स्थान पर औसत मतदाता के अधिक निकट होती है। परन्तु, जिस प्रकार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक इस पद्धति के पक्ष में सब कुछ दाँव पर लगा देते हैं, उसी प्रकार दो-दलीय प्रणाली में विश्वास करने वाले इसे कुशलता के शिखर पर बैठा देते हैं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक और आलोचक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि साधारण बहुमत प्रणाली की अपेक्षा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित चुनावों में अधिक उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसका परिणाम होता है अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व। इसमें छोटे दल ही नहीं, धार्मिक, भाषायी और जातीय अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना भी शामिल है। यही नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से महिलाओं को भी अन्य पद्धतियों की अपेक्षा अधिक औचित्यपूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है।

22.4.1 पार्टी एकता और लगाव

राजनीतिक दलों की एकता और लगाव (cohesion) तथा दलों के मध्य गठबंधनों पर चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि किसी एक ही दल के सदस्य एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तो इससे पार्टी की एकता को धक्का लगता है।

पार्टी एकता के सम्बन्ध में, बहुमत-आधारित (साधारण बहुमत) प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतियों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है। बहुमत पर आधारित व्यवस्था में एक ही दल के सदस्यों के मध्य प्रतिद्वन्द्विता नहीं होती है, परन्तु अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व जो पार्टी प्राईमरी होती हैं उनमें अवश्य ही एक ही दल के सदस्यों में आपसी प्रतिद्वन्द्विता अवश्य होती है।

सूची प्रणाली के दो रूप होते हैं। वे हैं बन्द-सूची तथा खुली-सूची पद्धतियाँ। बन्द सूची में मतदाता किसी न किसी पूरी सूची के पक्ष में मतदान करते हैं। इज़राइल में यही होता है। उन्हें सूचियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता। दूसरी ओर सूचियाँ पूरी तरह खुली होती हैं। फिनलैण्ड में यह परम्परा है कि मतदाता किसी एक सूची के पक्ष में मतदान करने के साथ-साथ पार्टी के किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में भी मत देते हैं। इस प्रकार मतदाता यह सुनिश्चित करते हैं कि विजयी सूची में से कौन-से उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इन दोनों के मध्यम बेल्जियम की सूची प्रणाली है। वहाँ मतदाता चाहे तो किसी सम्पूर्ण सूची के पक्ष में मतदान कर सकता है, या फिर वह किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में भी। वहाँ सूची में जिन लोगों के नाम नीचे की ओर दर्ज होते हैं यदि उन्हें ऊपर दर्ज नाम व्यक्ति से अधिक संख्या में व्यक्तिगत मत मिल जाएँ तो वे भी विजयी हो सकते हैं।

पार्टियों के बीच गठबंधनों को वैकल्पिक मत, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, द्वितीय मतदान प्रणाली तथा सूची प्रणाली से प्रोत्साहन मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी तथा नेशनल पार्टी के बीच स्थायी गठबंधन को चुनावी प्रक्रिया से प्रोत्साहन मिला है। इसी प्रकार, अस्थायी रूप से अर्थात् कभी-कभी, आयरलैण्ड की लेबर पार्टी तथा फाईन जेल (Fine Gael) के बीच भी गठबंधन चुनावी प्रक्रिया के कारण सम्भव हो पाता है। कुछ इसी प्रकार का गठबंधन फ्रांस की बहुदलीय, परन्तु दो गुटों की, दलीय व्यवस्था में भी पाया जाता है। वहाँ वामपंथी दलों तथा दक्षिण पंथी दलों के दो गठबंधन, या गुट, प्रायः उभर कर आते हैं।

बोध प्रश्न 3

नोटः क) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद या चर्चा के प्रमुख प्रकरण क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) दो दलीय व्यवस्था के पक्ष में पारम्परिक तर्क क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

22.5 सारांश

आधुनिक प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक सरकारों के लिए चुनावी प्रक्रियाएँ, अनेक कारणों से महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम, चुनावों के परिणामों से प्राप्त आनुपातिकता के मान, दलीय व्यवस्था, स्थापित किए जा सकने वाले मन्त्रिमंडलों के स्वरूप, सरकार के उत्तरदायित्व तथा दलों की एकता इत्यादि पर चुनावी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। द्वितीय, लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्य तत्वों की अपेक्षा चुनावी प्रक्रिया को अधिक सरलता से संचालित किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि लोकतान्त्रिक सरकार की प्रणाली में कोई परिवर्तन करना हो तो ऐसा करने के लिए निर्वाचन पद्धति सर्वश्रेष्ठ साधन है।

चुनावों की सबसे अधिक प्रचलित प्रणाली है - साधारण बहुमत प्रणाली या विजय स्तम्भ पर सबसे पहले पहुँचने वाली प्रणाली। इस पद्धति में उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, (भले ही वे कुल डाले गए मतों के आधे से कम ही क्यों न हों)। इस पद्धति मे उदाहरण के लिए चालीस प्रतिशत मत पाने वाला भी चुना जा सकता है, क्योंकि शेष मत अनेक अन्य उम्मीदवारों में विभाजित हो जाते हैं। लेकिन इससे बहुसंख्यक जनता को प्रतिनिधित्व प्राप्त ही नहीं हो पाता है।

दूसरी ओर, साधारण बहुमत प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए अनेक देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ अपनाई गई हैं। इनके द्वारा डाले गए मतों तथा विभिन्न दलों और वर्गों को प्राप्त सीटों में प्रायः उचित अनुपात पाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ बहु-सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में लागू की जाती हैं।

परन्तु, उचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अलावा भी इन पद्धतियों के अनेक लाभ हैं। अधिक विकल्प उपलब्ध होने तथा मतों के व्यर्थ न चले जाने की सम्भावना के फलस्वरूप अधिक संख्या में मतदाता मतदान करने आते हैं। द्वितीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्र-व्यापी पार्टी-गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। उन क्षेत्रों में भी जहाँ किसी पार्टी का संगठन कम शक्तिशाली हो, तथा जहाँ उसकी पकड़ कम हो वहाँ भी प्रत्येक पार्टी को कुछ न कुछ मत प्राप्त करने की सम्भावना रहती है।

22.6 शब्दावली

साधारण बहुमत प्रणाली अथवा विजय स्तम्भ पर पहले पहुँचने वाली प्रणाली : इस पद्धति में कुल डाले गए मतों की बहुसंख्या की चिंता किए बिना, जिस भी उम्मीदवार को साधारण बहुमत मिलता है, अर्थात् सबसे अधिक मत मिलते हैं (जो सबसे पहले विजय स्तम्भ पर पहुँच जाता है) उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

बारम्बार अथवा अनेक (Repeat) मतदान प्रणाली: इस पद्धति में दो, तीन, चार या उससे अधिक बार तब तक मतदान करवाया जाता रहता है जब तक कि किसी उम्मीदवार को डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत (आधे से अधिक मत) प्राप्त न हो जाए।

साधारण द्वितीय मतदान प्रणाली : सामान्यतया किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। यदि प्रथम मतदान में किसी को आधे से अधिक मत मिलें तो वह जीत जाता है, अन्यथा दूसरी बार मतदान करवाया जाता है। इस बार जिसे भी सर्वाधिक मत मिलते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

बहुमत द्वितीय मतदान प्रणाली : इस पद्धति में विजय के लिए स्पष्ट बहुमत अवश्य मिलना चाहिए। यदि प्रथम दौर के मतदान में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिले तो दूसरी बार मतदान होता है जिसमें मतपत्र पर केवल उन दो उम्मीदवारों के नाम होते हैं जिन्हें (प्रथम मतदान में) सबसे अधिक मत मिले हों। इन दो में से अधिक वोट पाने वाला विजयी होता है।

सामूहिक मत प्रणाली : इस पद्धति में मतदाताओं को प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम से लगाने के लिए कहा जाता है। मतगणना के पहले चरण में केवल प्रथम वरीयता प्राप्त उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका नाम हटा दिया जाता है और दूसरे क्रम के अनुसार कमज़ोर उम्मीदवार को पड़े मतो को प्रथम प्राथमिकता प्रदान कर दी जाती है।

दोहरा समानान्तर मत : इस पद्धति में विभिन्न दलों के उम्मीदवार खुले तौर पर (बिना पार्टी सूची में) चुनाव लड़ते हैं। मतदाता किसी भी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसका अर्थ सम्बद्ध उम्मीदवार की पार्टी के लिए किया गया मतदान भी माना जाता है।

स्वीकृति मतदान : मतदान की इस प्रणाली के अनुसार, मतदाता किसी एक उम्मीदवार के स्थान पर अपनी पसंद के एक से अधिक उम्मीदवारों को मत दे सकते हैं।

कॉन्डरसेट प्रणाली : इस पद्धति में दो-दो उम्मीदवारों की जोड़ियों में से मतदाता किसी भी जोड़ी के पक्ष में वोट देता है। विभिन्न जोड़ियों में कोई न कोई साझा उम्मीदवार होता है। जिस उम्मीदवार को अधिकांश मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है।

22.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Barber, Benjamin R. (1984) Strong Democracy, Berkeley: University of California Press.

Grofman, Bernard and Arend Lijphart (eds.) (1986) Electoral Laws and *Their Political* Consequences, New York: Agathon Press.

Lijphart, Arend. (1994) Electoral Systems *and* Party Systems, Oxford: Oxford University Press.

Lipset, S. and S. Rokkan (eds.) (1967) Party Systems *and* Voter *Alignments, New* York.

Nurmi, Hannu (1987) Comparing Voting Sysfems, Dordrecht, The Netherlands: Reidel.

Rokkan, S. (1970) Citizens, Elections, Parties, New York.

22.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) प्रथम, यदि विजयी उम्मीदवार को डाले गए मतों के आधे से भी कम मत प्राप्त होते हैं, और शेष मत अनेक उम्मीदवारों में विभाजित हो जाते हैं, तो यह लोकतन्त्र के बहुमत सिद्धान्त के विरुद्ध हुआ। द्वितीय, आधे से कम मत प्राप्त विजयी उम्मीदवार को लोकतान्त्रिक मान्यता नहीं मिलती।

2) फ्रांस तथा अमेरिका।

3) यदि प्रथम मतदान के पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब दूसरी बार मतदान में ऊपर के दो उम्मीदवारों में से चुनाव किया जाता है और उनमें से अधिक वोट जिसे मिलें वह विजयी होता है।

बोध प्रश्न 2

1) आनुपातिक प्रतिनिधित्व, साधारण बहुमत प्रणाली के दोष को दूर करने का साधन है। इससे मतों की संख्या तथा चुने गए उम्मीदवारों एवं उनके दलों के मध्य समुचित अनुपात स्थापित होता है। (देखें भाग 22.3)

2) सूची प्रणाली में मतदाता किसी एक पार्टी की सूची के पक्ष में मतदान करते हैं, जबकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति में मतदाता अपनी पसंद के अनुसार अपने मत को हस्तांतरित करवाने का संकेत कर सकते हैं। (देखें भाग 22.3.1 और 22.3.2)

3) प्रत्येक मतदाता का एक मत होता है (निर्वाचन क्षेत्र बहु-सदस्यीय होते हैं)। मतदाता अपनी पसंद का संकेत करते हैं, जिसके अनुसार यदि आवश्यक हो तो मत हस्तांतरित किए जा सकते हैं। एक कोटा निर्धारित किया जाता है। उसके बराबर मत पाने वाले विजयी होते हैं। विजयी उम्मीदवार के अतिरिक्त मत और कम मत प्राप्त उम्मीदवारों के मतों को अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं ताकि वे कोटा पूरा कर सकें और जीत जाएँ। (देखें भाग 22.3.1)

4) सभी मत एक ही उम्मीदवार के पक्ष में डाले जा सकते हैं, या फिर उन्हें मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में विभाजित कर सकता है। (देखें भाग 22.3.5)

बोध प्रश्न 3

1) प्रथम, प्रतिनिधित्व का आनुपातिकता पर प्रभाव, तथा द्वितीय, चुनावी प्रक्रिया का राजनीतिक दलों पर प्रभाव। (देखें भाग 22.4)

2) दो दलीय प्रणाली बेहतर है, क्योंकि इसमें किसी एक दल की सरकार बनती है जो सशक्त होती है, तथा आसानी से निर्णय कर सकती है। इसके विपरीत, बहु-दलीय प्रणाली की मिली-जुली सरकारें अस्थायित्व का शिकार होती हैं, तथा उन्हें नीतियों के साथ समझौते करने पड़ते हैं। (देखें भाग 22.4)